बिहार सरकार
उद्योग विभाग
(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय)

आदेश

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कुल 45 लाभुकों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण कराया गया है। प्रशिक्षणोपरांत 45 लाभार्थियों को कुल स्वीकृत परियोजना लागत की राशि रू0 3,62,25,000.00 (तीन करोड़ बासठ लाख पच्चीस हजार रू0) मात्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति हेतु निर्गत प्रक्रिया विवरणी के आलोक में प्रथम किस्त के रूप में परियोजना लागत की राशि का अधिकतम रू0 2.00 लाख (परियोजना स्थल की तैयारी हेतु रू0 1.50 लाख + बिजली कनेक्शन एवं सेफ्टी किट हेतु रू0 25.00 हजार + अन्य मद में रू0 25.00 हजार) स्वीकृत किया जाना है। (कृषि ड्रोन एज ए सर्विस, कपड़ा रंगाई इकाई, कपड़ा मुद्रण इकाई एवं कपड़ा फिनिशिंग और कैलेंडरिंग इकाई को छोड़कर)

संलग्न सूची के आधार पर संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अपने–अपने जिले से संबंधित लाभुकों का प्रथम किस्त का स्वीकृत्यादेश पोर्टल पर तीन दिनों के अन्दर अपलोड करेंगे एवं उसी के आधार पर सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट, उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा लाभुकों के खाते में भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक– यथोपरि।

01/10/26

सहायक निदेशक,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2412 /पटना, दिनांक– 01/10/2026

सं0सं0–DMSME/MMUY–दिव्यांगजन परियोजना राशि (2025–26)/67/2026

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट (MMUY), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार/सभी सहायक निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

01/10/26

सहायक निदेशक,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय,
बिहार, पटना।